मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्र. एफ 19–61/2017/1/4, भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
मंत्रालय, भोपाल.

विषयः–सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अन्तर्विभागीय समितियों के गठन के आदेश प्रसारित किए जाने के संबंध में निर्देश।

संदर्भः–1. विभागीय निर्देश क्रमांक 19/62/2005/1/4 दिनांक 09 मई, 2005
2. विभागीय ज्ञाप क्र. एफ ए.3–59/2004/एक(1), भोपाल, दिनांक 26 मई, 2006

---0---

राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा समय–समय पर सामान्य प्रशासन विभाग को राज्य स्तरीय अन्तर्विभागीय समितियों के गठन के प्रस्ताव भेजे जाते हैं। अन्तर्विभागीय समितियों के गठन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त संदर्भित ज्ञाप क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा विभिन्न अपेक्षाएं की गई हैं।

2. विभिन्न विभागों से प्राप्त अन्तर्विभागीय समिति गठन के प्रस्तावों में निम्नानुसार कमियां पाई जा रही हैं :–

2.1 प्राप्त प्रस्ताव में विभागीय मंत्री एवं मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा रहा है। यदि अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है तो विभागीय मंत्री एवं मुख्य सचिव के अनुमोदन में भिन्नता है।

2.2 विभागीय मंत्री एवं मुख्य सचिव के अनुमोदन से भिन्न अन्तर्विभागीय समिति का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है।

2.3 अन्तर्विभागीय समिति के प्रस्तावित प्रारूप में लिखे टी.ओ.आर. (Terms of Reference) अनुमोदन से भिन्न पाए जा रहे हैं।

3. उक्त पृष्ठभूमि में भविष्य में प्राप्त होने वाले अन्तर्विभागीय समिति के प्रस्तावों के संबंध में अपेक्षा की जाती है कि निम्नानुसार बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :–

3.1 ऐसे कार्य जिसमें विभिन्न विभागों की नीतियों के कारण विभागों का समन्वय जरूरी हो, ऐसे प्रकरणों में संबंधित विभाग जिसका कार्य एक से अधिक विभाग से संबंधित है वह अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिवों की अन्तर्विभागीय समिति के प्रस्ताव तैयार कर सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी करने के लिए प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेंजे। यदि समिति में मान0 मंत्री/राज्यमंत्री को अध्यक्ष या सदस्य रखा जा रहा है तो मान0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

3.2 विभागीय कार्य जिसमें विभाग की नीति, निर्देश नियम अनुसार स्वयं को कार्य करना है, जिसमें किसी अन्य विभाग का हस्तक्षेप नहीं है, ऐसे कार्य के लिए विभाग विभागीय मंत्री, विभाग के अधिकारियों की समिति स्वयं विभाग ही गठित कर सकता है। यदि विभागीय कार्य के लिए तकनीकी या अन्य सहयोग के लिए अन्य विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव/अधिकारियों को समिति में रखा जाना है तो भी विभाग स्वयं निर्णय लेकर आदेश जारी कर सकेंगे। यदि एक से अधिक विभाग के मंत्री/राज्यमंत्रियों को भी समिति में रखा जाना हो तो मान0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

3.3 यदि किसी समिति में अशासकीय सदस्य सम्मिलित किए जाने हैं तो समिति में उन्हें सम्मिलित किए जाने की शर्तों का निर्धारण एवं वित्तीय पहलुओं पर वित्त विभाग की सहमति संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सर्वप्रथम प्राप्त की जाए। साथ ही अशासकीय पदाधिकारी/सलाहकार रखे जाने के संबंध में कार्य नियमों के तहत् सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त की जाए।

3.4 समिति के गठन के प्रस्ताव भेजते समय उस समिति को गठित किए जाने की आवश्यकता एवं औचित्य का उल्लेख अवश्य किया जाए।

3.5 मंत्रि–परिषद् की समिति यदि गठित की जाना है तो विभाग प्रस्ताव मंत्रि–परिषद् में प्रस्तुत कर मंत्रि–परिषद् के आदेश प्राप्त कर आदेश जारी करने के लिए नस्ती सामान्य प्रशासन विभाग को भेंजे। आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया जाएगा तत्पश्चात् मूल नस्ती विभाग को भेजी जाएगी।

3.6 प्रत्येक प्रस्ताव के साथ समिति गठन का प्रारूप जिसमें समिति के लिए विचारणीय विषय, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय–सीमा, संयोजक/सदस्य सचिव का स्पष्ट उल्लेख हो, अनिवार्य रूप से भेजा जाए। प्रारूप आदेश में यह भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि समिति द्वारा शासन के किस विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है तथा समिति का कार्यकाल कितनी अवधि का होगा। समिति गठन का प्रारूप सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

3.7 समिति द्वारा शासन के नियम, निर्देशों का पालन करते हुए ही निर्णय लिए जाना हैं। समिति गठित करने का यह आशय कदापि न रखा जाए कि समिति द्वारा यदि नियम निर्देशों से हटकर कोई निर्णय लिया है तो भी उसका पालन किया जाना है।

3.8 पद क्रमांक–2 में उल्लेखित बिन्दुओं का ध्यान रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावों में उक्त या अन्य कोई discrepancies न हो।

4. अतः कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, ताकि अन्तर्विभागीय समिति का आदेश शीघ्रता से जारी किया जा सके।

10.10.17

(प्रभांशु कमल)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग